08/11/24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई उभय पक्ष उप. प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया पत्रावली नंबर से खारिज होकर दाखिल दफ्तर हो

निर्णय सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/630

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.14 18:03:57 IST
Reason: SelfAttested

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

गगनदीप सिंह बनाम नसीब कौर (फौत) जगसीर सिंह आदि

किस्म मुकदमाः– 212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्याः– 273 / 2024

GCMS:- 2024/630

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.11.2024	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम से वाके चक 17 एल.के.एस. की जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 22 / 19 के पत्थर संख्या 41 / 284 (22) के किला संख्या 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 की 3.795 हैक्टर नहरी भूमि ब.हि.ब. खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का घरेलू बंटवारा किया हुआ है तथा मुताबिक घरू बंटवारा के अपने–अपने रकबा को सुधार कर काबिल काश्त बनाया है। प्रार्थी को घरू बंटवारा अनुसार चक 17 एल.के.एस. के पत्थर संख्या 41 / 284 (22) के कि.न. 1 ता 3 की 0.759 हैक्टर, 10 / 0.253 हैक्टर में से 0.18975 नहरी भूमि उत्तरी पासा कुल 0.94875 हैक्टर नहरी रकबा प्राप्त है। जिसे प्रार्थी ने कड़ी मेहनत कर ट्रेक्टर से करावा लगाकर समतल कर उपजाउ बनाया है। वर्तमान में खाता में सहकाश्तकारों की संख्या बढ़ जाने से प्रार्थी को अपने हिस्सा की भूमि का विकास करने में अनेक प्रकार की बाधाएं आ रही है। इसलिये खाता विभाजन कराया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण जानबुझकर खाता विभाजन नही करवाकर प्रार्थी के को अपने हिस्सा से बेदखल करना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिनांक 07.10.2024 को जारी टी0आई0 वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई किया जावें। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब को दोहराते हुए बताया कि अप्रार्थीगण के पिता / नाना गुरदीप सिंह पुत्र भगतसिंह के नाम से उक्त जैरवाद भूमि थी। जिनके कुल 04 वारिस लड़किया ही थी। उनकी मृत्यु के उपरान्त लगभग 10 वर्षो से उक्त भूमि का कब्जा अप्रार्थीगण के पास ही है। जसवीरकौर का 1 / 4 हिस्सा था, जो कि अपना हिस्सा अप्रार्थीगण की बहिन / मौसी हमें ही ठेका पर देती आई है। मौका पर नरमें की काश्त की हुई है। प्रार्थी ने केवल मात्र एक माह पूर्व ही यह भूमि जसवीरकौर से खरीद की हुई है। जब कब्जा जसवीरकौर का ही कब्जा नही था, तो खरीददार का कब्जा होने का मतलब ही नही है। दिनांक 29.04.2016 को हुई पंचायत मे यह तय किया गया कि हमारे पिता / नाना के नाम जो पैसा बैंक में जमा है वह जसवीर कौर ने प्राप्त किया है उक्त रूप्यों में से अप्रार्थीगण को कुछ नही मिला है इसकी एवज में पिता / नाना की मृत्यु के बाद उक्त भूमि में जसवीर कौर का कोई हिस्सा तब तक नही होगा काश्त करने बाबत जब तक उक्त राशि के बदले ठेकानामा पुरा नही हो जाता। इसके अलावा भी पिछले वर्ष अप्रार्थीगण द्वारा जसवीर कौर के हिस्सा की भूमि को ठेका 55000 / – रूप्ये अप्रार्थीगण को दिया हुआ है। उक्त पंचायती में यह स्पष्ट लिखा हे कि नहरी कृषि भूमि चारों वारिसान की बराबर–बराबर होगी तथा चारों वारिसान को सड़क पर बराबर हिस्सा मिलेगा तथा शेष आपसी सहमति से बंटवारा होगा। संयुक्त खातेदारी में प्रत्येक ईंच पर प्रत्येक काश्तकार का हिस्सा माना जाता है। प्रार्थी का कब्जा नही रहा है। तथ्य छिपाकर स्थगन प्राप्त किया है। अतः प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से निरस्त कर पूर्व में जारी टी0आई0 को निरस्त किया जावे। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 चक 17 एल.के.एस. के खाता संख्या 22 / 19 के पत्थर संख्या 41 / 284 (22) के किला संख्या 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 कुल 3.795 हैक्टर भूमि नहरी प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 ता 3 के नाम प्रत्येक के 1 / 4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण ने यह कथन किया है कि प्रार्थी का कभी कब्जा नही रहा है, किन्तु ऐसा कोई साक्ष्य व सबूत पेश नही किया है, जिससे यह साबित हो। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 राजस्व अभिलेख में अभिलिखित खातेदार अंकित है। अप्रार्थीगण ने अंकित किया है कि जसवीरकौर ने अपना हिस्सा उन्हे ठेका पर दिया है, किन्तु इस कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या गवाहान के बयान शपथ पत्र आदि प्रस्तुत नही किया है। इसलिये अप्रार्थीगण के कथनों की पुष्टि नही की जा सकती है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ... विवाद कब्जा को लेकर है। इसलिये मौका पर किसी प्रकार का विवाद ना ... उभय पक्ष को मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया ... उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी ... वाद पत्र के निर्णय तक उभय पक्ष को पांबद किया जाता है कि ... के.एस. की जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 22 / 19 के पत्थर संख्या .../284 (22) के किला संख्या 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 कुल 3.795 हैक्टर नहरी भूमि ... मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली नंबर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Sandeep Kumar Date: 2024.11.14 18:03:57 IST Reason: SelfAttested (सन्दीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़